न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2019-00380RAAJodhpur2019-201RTA225 Rajuram ors Vs Pappuram etc

01. राजूराम पुत्र नेनाराम जाति माली, निवासी- ग्राम सदावता, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
02. मगाराम पुत्र शिवनारायण, जाति माली, निवासी- सदावता, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
03. देवीलाल पुत्र नेनाराम जाति माली, निवासी- सदावता, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. पपुराम पुत्र बाबुराम
2. मनोहरराम पुत्र बाबुराम
3. नथूराम पुत्र बाबुराम
   सभी जातियान् माली, निवासीगण- ग्राम सदावता, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 07 नवंबर 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2018 पपुराम व अन्य बनाम तहसीलदार फलोदी

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री हेमंत जैन अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 20 सितंबर 2023

20.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2018 पपुराम व अन्य बनाम तहसीलदार फलोदी में पारित आदेश दिनांक 07 नवंबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 17 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 139 ग्राम सदावता तहसील फलोदी में आने-जाने हेतु खसरा नं. 127 की भूमि में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार मार्क सी.डी. 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 नवंबर 2019 के जरिये <u>प्रार्थी/रेस्पो</u> संख्या एक से तीन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गांव सदावता तहसील फलोदी में अपीलार्थी संख्या एक के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 155 व 127/5, अपीलार्थी संख्या दो के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 127/4 व अपीलार्थी संख्या तीन की खातेदारी भूमि खसरा नं. 143/1 है। रेस्पोडेंट्स ने धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ वर्ष 2015 के राजस्व नक्शे की प्रति पेश कर उसी में नजरी नक्श बनाते हुए प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर दिया, जबकि इसके बाद राजस्व नक्शे में खसरा नं. 127 व अन्य खसरों की विधिवत तरमीम की जा चुकी है, जिसकी नकल जानबूझ कर प्रार्थना पत्र

20.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के साथ प्रस्तुत नहीं की गई। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे को ही आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश की पालना होने से अपीलार्थीगणों की भूमि खसरा नं. 127 च 127/5 के बीच में सें रास्ता निकाला जायेगा, जबकि उन्हें मुकदमें में पक्षकार भी नहीं बनाया गया। रेस्पोडेंट्स को वास्तव में कोई रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है, उनके पास पहले से ही कटाणी रास्ता खसरा नं. 176/18 उपलब्ध है जो उनके खातेदारी की भूमि खसरा नं. 147, 146, 145 व 144 में आवागमन हेतु काम में आ रहा है एवं खसरा नं. 144 के चिपते ही खसरा नं. 143 की राजकीय भूमि स्थित है, जिस पर संपूर्ण भूमि पर रेस्पोडेंट्स ने कब्जा कर रखा है एवं नलकूप भी खुदवा लिया है जो चालू हालत में है। रेस्पोडेंट्स एवं उनके परिवारजनो द्वारा पूर्व में भी खसरा नं. 127 में सें रास्ते की मांग की गई जो वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के आधार पर खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि खसरा नं. 127 में अपीलांट्स की खातेदारी की तरमीमसुदा भूमि खसरा नं. 127/4 व 127/5 स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपीलांट्स प्रभावित पक्षकार होने से अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील करने के अधिकारी है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार

20-9-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 07 नवंबर 2019 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्तागण रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स खसरा नं. 127/4 एवं 127/5 के रेकर्डेड खातेदार है तथा उक्त खसरान् राजस्व रेकर्ड में तरमीम सुदा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपीलांट हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध, प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार होने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट्स को अपील करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में जमाबंदी संवत् 2074-77 ग्राम सदावता एवं नक्शा लट्ठा ट्रेस पी.35 क्रमांक 6831/06.12.2019 मौजा सदावता तहसील फलोदी के अवलोकन से विदित होता है कि खसरा नं. 127 की तरमीम हो चुकी है, जिसके अनुसार ख.न. 127/4 एवं 127/5 अपीलांट्स की खातेदारी में दर्ज है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा मामले में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर रास्ते की उपलब्धता बाबत किसी

20.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकार की मौका रिपोर्ट तलब किये बिना तथा अघतन राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बगैर ही सन् 2015 के राजस्व नक्शे के आधार पर अपीलांट्स की खातेदारी में सें रास्ता दिये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2019 पारित किया गया है। इन परिस्थतियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2018 पपुराम व अन्य बनाम तहसीलदार फलोदी में पारित आदेश दिनांक 07 नवंबर 2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की दूरी सहित उभय पक्ष की उपस्थिति में जांच कर तथा उस पर विस्तृत मौका रिपोर्ट तलब करे तथा निकटतम रास्ते का चयन करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का युक्तियुक्त अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.9.23

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर